समाचार–प्रकाशनार्थ :–

पर्यावरण और आदर्श जीवन शैली के लिये स्वच्छता जरुरी है

स्वच्छता अभियान समिति नें निःशुल्क एंटी कोरोना नस्य आयुर्वेदिक औषधि कार्यक्रम में लिया शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प

रतलाम 17 जनवरी । साफ–सफाई एक अच्छी आदत है, स्वच्छ पर्यावरण और आदर्श जीवन शैली के लिये हर एक को यह आदत बनानी चाहिये। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मानसिकता का विकास होता है इसी के मद्देनजर देश में स्वच्छता की महती आवश्यकता को देखते हुए देश में स्वच्छता अभियान शुरु किया गया है। ऐसे में समाज में रहने वाले हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना सहयोग दे। हम सब के स्वस्थ जीवन के लिये इस अभियान में हमें कंधे से कन्धा मिलकर भाग लेना चाहिये। इसकी शुरुआत घरों, स्कूलों, कालेजों, समुदायों, कार्यालयों, संस्थानों से हो जिससे कि शहर में व्यापक स्तर पर स्वच्छ क्रांति हो। हमें खुद को, घर, अपने आसपास, समाज, समुदाय, शहर, उद्यान और पर्यावरण आदि को रोज स्वच्छ रखने की जरुरत है। हमें स्वच्छता को रोज की दिनचर्या में शामिल करना है। जिससे स्वच्छ और स्वस्थ शहर का निर्माण हो।

उक्त विचार रविवार सुबह बाजना बस स्टेण्ड स्थित बगीचे में स्वच्छता अभियान समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने व्यक्त करते हुए शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम के अतिथि मुख्य ग्रन्थि साहेब ज्ञानी मानसिंह जी ठक्कर, सुभाष कुमावत (प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय), श्रीमती संगीता दरड़ा अध्यक्ष इनरव्हील गोल्ड क्लब,तौसीफ खान प्रचार्य समता शिक्षा निकेतन, डॉली मेडम प्रचार्य बोधि स्कूल,पतंजलि जिला प्रभारी विशाल वर्मा ने भी औषधि का प्रयोग कर अपने विचार व्यक्त किये।

इस दौरान रंगोली का निर्माण कर समिति सदस्यों सहित आगन्तुक अतिथियों ने सामूहिक रूप से रतलाम को देश मे नम्बर 1 बनाने के लिए स्वच्छता की शपथ ली।

शिविर में गोपाल टँच,चन्दनमल घोटा,संजय चपरोट, संजय छाजेड़,सूरजमल टांक,पारस कसेरा,मदन शर्मा,गोपाल डांगी,गजेंद्र शर्मा,महावीर सकलेचा,महेंद्र पोरवाल,अशोक दुबे,कमलेश अग्रवाल,मंगल पिरोदिया, रमेश खण्डेलवाल, कनक कटकानी,कमल कोठारी, नवदीप भंडारी,मनीष जटिया,देवीलाल,नितेश निनामा,बलराम डामर,अखिलेश परमार,सतीश बैरागी, अंकित पंवार,रतनदीप शर्मा,महेंद्र रांका, दीपक सिसोदिया, महेंद्र प्रजापत सहित क्षेत्रिय नागरिक उपस्थित थे।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान रविवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की

शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोविड–19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है. ऐसे में हमे मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

गंदगी व अतिक्रमण करने पर 15 व्यक्तियों पर जुर्माना

सीसीटीवी से गंदगी करने वालो पर रखी जा रही है निगरानी

रतलाम 17 जनवरी । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां–वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार हुसैनीबाई माणक चौक पर 300, अभिषेक महू रोड बस स्टैण्ड पर 100, फिरोज, मो0 रियाज, गोदवरीबाई, मो0 निजाम, घनश्याम, मो0 सलीम, धापुबाई, उषाबाई, धन्नीबाई, संगीता बेन माणक चौक, सुरेश, इकबाल, अभिषेक व ज्ञान महू रोड बस स्टैण्ड पर 50–50 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विनय चौहान आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 17 जनवरी । सर्द रातों में नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, रैन बसेरा सिविक सेन्टर, पांजरा पोल, महू रोड बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, कालिका माता, नगर निगम फायर ब्रिगेड सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रतलाम 17 जनवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण–पत्र बनवाने हेतु नगर निगम विकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटो, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, समग्र आई.डी., निःशक्त प्रमाण–पत्र, मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें ।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश

स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 17 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक–पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक–पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक–पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 17 जनवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 17 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल–सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000–5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 17.01.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.